EDUCATION & DEPARTMENT CULTURE (KUMARI SELJA): (a) and (b) The vacancies of teachers and Principals under the direct recruitment quota are filled on the basis of open advertisements and candidates from all parts of the country can apply for the posts regardless of the state of residence/ domicile. The Kcndriya Vidyalaya Sangathan does not maintain records regarding the native/domicile State of the teachers and Principals, centrally.

Entrance Rate In Schools In Rural and Urban Areas

1892. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minsitcr of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state.

(a) the entrance rate at primary, middle and matriculation stages in the schools for urban and rural areas, separately;

(b) the drop-out rates for the same;

(c) whether Government are aware that quality of education in rural areas is inferior to that of urban areas; and

(d) if so, the steps taken by Government for improving the standard of education in the rural areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT(DEPARTMENT OF EDUCATION) (DR. KRUPASINDHU BHOI). (a) and (b) Data on entrance rates and on rural and urban schools is not collected separately. However, statistics relating to drop out for Classes I-V, I-VIII and I-X for boys and girls separately are published in the Annual Report of the Ministry.

(c) and (d) It is difficult to generalise that quality of education in rural areas is uniformly inferior to that of urban areas.

रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों को नियंत्रित किया जाना

1893. **श्री नरेश यादव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के पास उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या हैं,

(ख)क्या किसानों को नियत मूल्यों पर ये उर्वरक उपलब्ध हो पाते हैं,

(ग)क्या इस संबंध में स्थिति की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी,

(घ)यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकलें हैं, और

(ड.)यदि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो मूल्य नियंत्रण तंत्र का औचित्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी ए) 1955 वह संविधि हैं जिसके अंतर्गत सरकार को उर्वरकों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित और विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

यूरिया ही एक मात्र उर्वरक हैं जो सांविधिक मूल्य, आबंटन और संचलन नियंत्रण के अंतर्गत आता हैं। बिक्री कर जहां कहीं लागू हैं, को छोड़कर यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य 3320 रूपए प्रति टन हैं। अन्य फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरक 25.8.92 से नियंत्रणमुक्त हैं। अनियंत्रण के पश्चात फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग (डी ए सी) भारत सरकार द्वारा 1010.92 से एकए तदर्थ रियासत योजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत कम्पलैक्स ग्रेड उर्वरकों के मामले में 435-999 रूपए प्रति टन तक म्यूरिएट आफ पोटश तथा स्वदेशी डाई अमोनियम फास्फेट पर 1000 रूपए प्रति टन और सिंगनल सुपर फास्टफेट पर 0340 रूपए प्रति टन तक रियासत इस समय उर्वरक आपूर्त्ति करने वाले अभिकरणों को प्रदान की जाती हैं।

अनियंत्रितए उर्वरकों का बिक्री मूल्य बाजार शकित्यों द्वारा निर्धारित किया जाता हैं। तथापि, अनियंत्रित उर्वरक के मामले में डी ए सी की तदर्थ रियासत योजना में शामिल हैं, बिक्री मूल्य आपूर्त्तिकर्ता द्वारा राज्य सरकारों के